

## सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.पत्र./263/2012

दर्ज दिनांक:-23.10.2012

1. हरिसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. लालचंद पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

के.के.सिंघल

प्राथी अभिभाषक

भूपत कुमार जैन

अप्राथी अभिभाषक



निर्णय

दिनांक:-06.02.2018

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है मूलदावा अपालना में खारिज किया गया है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी अपालना में खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 05.08.2010 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर